रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21102021-230591
CG-MH-E-21102021-230591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943
No. 483] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अक्तूबर, 2021

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021

सं. फेमा.396(1)/2021-आरबी.—विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम, 1999 (सन 1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं. फेमा. 396/2019–आरबी दिनांक 17 अक्तूबर 2019) (इसके बाद 'प्रधान विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा –

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. विनियम 2 में संशोधन

(i) प्रधान विनियमावली के विनियम 2 में खंड (i) के बाद निम्नलिखित नया खंड संनिविष्ट किया जाएगा :

"(आईए) "अवसंरचना निवेश ट्रस्ट" अथवा "आईएनवीआईटी" का आशय है ऐसा कारोबारी ट्रस्ट जिसकी परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 13ए की धारा 2 में दी गई है।"

(ii) प्रधान विनियमावली के विनियम 2, में खंड (क्यू) के बाद, निम्नलिखित नए खंड को संनिविष्ट किया जाएगा :-

"(क्यूए) "भू सम्पदा निवेश ट्रस्ट" अथवा "आरईआईटी" का आशय है ऐसा कारोबारी ट्रस्ट जिसकी परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 13ए की धारा 2 में दी गई है।"

3. अनुसूची 1 में संशोधन

(i) प्रधान विनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद ए में, खंड (के) के बाद, निम्नलिखित नए खंड को संनिविष्ट किया जाएगा : -

"(l) ऋण प्रतिभूतियां जो (i) आईएनवीआईटी और (ii) आरईआईटी द्वारा जारी की गई हैं।"

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./347/2021-22]

फुट-नोट : प्रधान विनियमावली को 17 अक्तूबर 2019 के जी.एस.आर. सं.796(ई) के माध्यम से शासकीय राजपत्र के द्वितीय भाग, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th October, 2021

Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021

No. FEMA.396(1)/2021-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2:

(i) In Regulation 2 of the Principal Regulation, after clause (i), the following new clause shall be inserted: -

"(ia) "Infrastructure Investment Trust" or "InvIT" means a business trust as defined in sub-clause (i) of clause 13A of section 2 of the Income-tax Act, 1961."

(ii) In Regulation 2 of the Principal Regulation, after clause (q), the following new clause shall be inserted: -

"(qa) "Real Estate Investment Trust" or "REIT" means a business trust as defined in sub-clause (ii) of clause 13A of section 2 of the Income-tax Act, 1961."

3. Amendment to Schedule 1

(i) In sub-paragraph A of paragraph 1 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after clause (k), the following new clause shall be inserted: -

"(l) debt securities issued by (i) InvITs and (ii) REITs."

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./347/2021-22]

Foot Note: The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.796(E) dated October 17, 2019 in Part II, Section 3, sub-Section (i).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.21 22:12:35 +05'30'